तारीख हुक्म	
11-5-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 31-5-22 को पेश हों।
31-5-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. [illegible] बहस आदेश वादी पेश करे अंतिम अवसर दिया जाकर वास्ते साक्ष्य वादी व बहस पत्रावली 8-6-22 को पेश हो
8-6-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23-6-22 को पेश हों।
23-6-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28-7-22 को पेश हों।
28-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (पूर्वी)

104 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 14.12.2021
1. सत्यनारायण ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

104 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 14.12.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. सत्यनारायण दत्तक पुत्र रामकिशन जाति गुसांई निवासी नौताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

--वादी

बनाम

1. बिरधीलाल आ0 गोपाल जाति गुसांई निवासी नौताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. मोहनलाल आ0 गोपाल जाति गुसांई निवासी नौताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– प्रतिवादीगण

अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट।

उपस्थित :– 1.श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट(वादी)।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 28.07.2022**

वादी ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट में पेश कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 435 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0नं0 445/2 रकबा 0.07 हैक्ट0, ख0नं0 876/2 रकबा 0.77 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 हैक्ट0 वाके ग्राम नौताडा में स्थित है।वर्णित कृषि भूमि की खातेदार भरोसी बेवा रामकिशन कोम गुसाई का स्वर्गवास दिनांक 26.08.2012 को हो गया था। वाद विषयक आराजी पुराने राजस्व रिकार्ड में वादी के दत्तक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

पिता एवं भरोसी बाई के पति रामकिशन आ0 गोपाल के खाते में दर्ज थी।रामकिशन की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण से वादी व भरोसी बाई के नाम खाते में दर्ज की गई वादी व भरोसीबाई के मध्य वंटवारा होने पर वाद विषयक आराजी मृतक भरोसी बाई के नाम दर्ज की गई।मृतक भरोसी बाई वादी की दत्तक माता है वादी के अलावा अन्य वारिस जायज पुत्र–पुत्री जीवित नही है वादी मृतक भरोसीबाई का पुत्र होने के कारण मृतक भरोसी बाई का प्रथम श्रेणी का वारिस व उत्तराधिकारी है इस कारण वादी को मृतक भरोसी बाई के खाते की कृषि भूमि को बतौर दत्तक उत्तराधिकारी नाम दर्ज कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है उक्त विवादित आराजी पर मृतक भरोसी बाई के जीवनकाल से ही आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है।प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 वाद विषयक आराजी पर फौती नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक कराने पर आमादा है वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वादी भरोसी बाई का दत्तक पुत्र होने एवं प्रथम श्रेणी का वारिस होने के कारण वांद विषयक आराजी पर खातेदारी घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।और अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी में वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादी का वाद–पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद तामिल सम्मन अनुपस्थित रहने से एवं कोई खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत नही करने से उनके विरूद्व दिनांक 22.03.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वाद–पत्र के सर्मथन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 खाता संख्या 179 , नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077, खा0सं0 325 ग्राम नौताडा, भू0 प्रबंध विभाग खतौनी नकल 1995 से 2015 नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 16.11.1999 जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 खाता संख्या 139/1 ग्राम नौताडा जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 खाता संख्या पुरानी 211 पेश की है एवं भरोसी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची स्वयं का आधार कार्ड, पेनकार्ड की छायाप्रतियां पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
बाजेरी (बून्दी)

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 16.11.1999 से सत्यापित होता है कि विवादित आराजी वादी सत्यनारायण पिता मु0 रामकिशन हिस्सा 1/2 व भरोसी बाई बेवा रामकिशन हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड थी। वंटवारा आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर केशोरायपाटन 3013/ACM/99 दिनांक 15.11.1999 से पृथक–पृथक खाता दर्ज की गई वादी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से साबित होता है कि वादी भरोसी बाई पत्नि रामकिशन जाति गुसाई का दत्तक पुत्र है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अजनबी व्यक्ति है अतः वादी का वाद–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 435 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0नं0 445/2 रकवा 0.07 हैक्ट0, ख0नं0 876/2 रकबा 0.77 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.92 हैक्ट0 वाके ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम.........................लाखेरी..................व इजलास.......................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)...

1 सत्यनारायण दत्तक पुत्र रामकिशन जाति गुसांई निवासी नौताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0। **बनाम** 1 विरधीलाल आ0 गोपाल जाति गुसांई निवासी नौताडा तहसील इन्द्रगढ

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट।.........................

मुकदमा नम्बर................................. 104/दावा/2021...सन..
...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू...हमरे...
................व हाजिरी

1. श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट(वादी)...।मिनजानिब मुद्दइ...
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 435 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0सं0 445/2 रकबा 0.07 हैक्ट0, ख0सं0 876/2 रकबा 0.77 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 हैक्ट0 वाके ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

....निज.......................................मुबलिग...वावत...............
.........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...**28**.....**माह**..........**07**........... **सन**...**2022**.......................को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर					
मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाप अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.वावत इजरायं हुक्मनामा		
7.वावत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मैजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

2. मोहनलाल आ0 गोपाल जाति गुसांई निवासी नौताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)